31

असंसदीय शब्दों का कार्यवाही–वृत्तांत से निकाला जाना

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

टी. ओ. संख्या 91

मूल्य : 14.00 रु.

© 2014 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (पन्द्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अधीन प्रकाशित और मै. जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

आमुख

यह सारांश संसदीय प्रक्रिया सारांश माला का भाग है। यह सारांश विशेष रूप से असंसदीय शब्दों को सभा की कार्यवाही से निकाले जाने के बारे में है और सदस्यों द्वारा अपने भाषणों के दौरान असंसदीय, मानहानिकारक, अशिष्ट या अभद्र शब्दों के प्रयोग को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता को सामने रखता है। यह भारत के संविधान, प्रक्रिया नियमों/अध्यक्ष के निदेश और अध्यक्षपीठ द्वारा समय-समय पर किए गए विनिश्चयों, टिप्पणियों और विनिर्णयों पर आधारित है और यह तत्काल संदर्भ के लिए संदर्शिका के रूप में प्रयोग के लिए है।

इस सारांश में दी गई जानकारी संपूर्ण नहीं है। अत: पूर्ण जानकारी के लिए मूल स्रोतों का ही अवलोकन करें और उन्हीं को विश्वसनीय मानें।

नई दिल्ली;
अप्रैल, 2014
वैशाख, 1936 (शक)

पी. श्रीधरन,
महासचिव।

असंसदीय शब्दों का कार्यवाही-वृत्तांत से निकाला जाना

सदस्यों के वाक्-स्वातंत्र्य पर प्रतिबंध

यह संसदीय प्रणाली का अनिवार्य तत्व है कि जनता के प्रतिनिधि किसी कानूनी कार्यवाही के भय से मुक्त होकर स्वयं को अभिव्यक्त करने में स्वतंत्र रहें।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 (2) में उपबंध किया गया है कि संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। उनका कथन केवल संसद के नियमों के अनुशासन, सदस्यों की अच्छी समझ और अध्यक्ष द्वारा कार्यवाही के नियंत्रण के अध्यधीन होगा। इस प्रकार संसद में सदस्यों को प्राप्त वाक्-स्वातंत्र्य का अधिकार आत्यंतिक कहा जा सकता है; परंतु, यह किसी सदस्य को किसी व्यक्ति के विरुद्ध कुछ भी कह देने या मानहानिकारक या अशिष्ट या अभद्र या असंसदीय शब्दों का प्रयोग करने की अनिर्बंधित स्वतंत्रता नहीं देता है।

3. संविधान का अनुच्छेद 121 उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के, अपने कर्तव्यों के

1

निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा, विहित रीति से उस न्यायाधीश को हटाने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को छोड़कर, किए जाने का प्रतिषेध करता है।

4. प्रक्रिया नियमों के नियम 352 में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का उपबंध किया गया है कि कोई सदस्य उचित रूप में रखे गए मूल प्रस्ताव को छोड़कर उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप नहीं करेगा। शब्द ''उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों'' का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिनके आचरण की चर्चा संविधान के अंतर्गत केवल उचित रूप में रखे गए मूल प्रस्ताव पर की जा सकती है या ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिनके आचरण की चर्चा अध्यक्ष की राय में, उसके द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले रूप में रखे गए मूल प्रस्ताव पर की जानी चाहिये। बोलते समय कोई सदस्य संसद या किसी राज्य विधानमंडल के व्यवहार या कार्यवाही के विषय में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा/करेगी।

5. इसी प्रकार, प्रक्रिया नियमों के नियम 353 में यह निर्धारित किया गया है कि किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराध में फंसाने वाले स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बंधित मंत्री को भी पर्याप्त अग्रिम सूचना न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर

सके। इसमें यह उपबंध भी है कि किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाए जाने से प्रतिषिद्ध किया जा सकेगा यदि अध्यक्ष की राय में यह सभा की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई लोक हित सिद्ध नहीं होता।

मानहानिकारक, अशिष्ट या असंसदीय शब्दों को निकालने की शक्ति

6. लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 380 के अंतर्गत अध्यक्ष के पास उन शब्दों को सभा के कार्यवाही-वृत्तांत से निकालने का आदेश देने की शक्ति है जो अध्यक्ष की राय में मानहानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या अमर्यादित हैं। इसी प्रकार से, अध्यक्ष उन शब्दों को, जो मानहानिकारक या संकेतकारी प्रकृति के हैं या जो उच्च गण्यमान्य व्यक्ति या प्राधिकारी या संगठन के विरुद्ध आक्षेपकारी हैं, हटाने का आदेश दे सकेगा/सकेगी।

निकाले जाने की परिधि में आने वाले शब्द

7. मानहानिकारक, अशिष्ट या असंसदीय शब्दों के अलावा पिछले कुछ वर्षों से विश्व की विभिन्न संसदों में कतिपय शब्दों को असंसदीय माना गया है। ऐसे अवसर आए हैं जब अध्यक्षपीठ ने ऐसे शब्दों के प्रयोग का विरोध किया है और संबंधित सदस्य से उन शब्दों को वापस लेने के लिए कहा है। यदि ऐसे शब्दों

को वापस नहीं लिया जाता है तो अध्यक्षपीठ उनको निकालने का आदेश दे सकेगा/सकेगी।

8. इसी प्रकार, किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाते समय नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रयुक्त शब्दों या अभिव्यक्ति को मानहानिकारक माना जा सकता है और उन्हें निकाले जाने की परिधि में लाया जा सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि अश्लील या अशिष्ट शब्द या अभिव्यक्ति या ऐसे शब्द जो सभा की गरिमा को कम करते हों, भी निकाले जाते हैं।

9. कई अवसरों पर, अध्यक्षपीठ ने अपने स्वविवेक से ऐसे शब्दों को भी निकाले जाने का आदेश दिया है जिन्हें ऐसा माना गया कि वे:—

* राष्ट्रीय हित के विरुद्ध हैं;
* किसी विदेशी राष्ट्र के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हैं;
* विदेशी मित्र राष्ट्रों के प्रमुखों सहित उच्च गण्यमान्य व्यक्तियों के सम्मान के विरुद्ध हैं;
* राष्ट्रीय भावना को ठेस पहुंचा सकते हैं या समुदाय के किसी वर्ग की धार्मिक संवेदनशीलता को प्रभावित कर सकते हैं;

* सेना को बदनाम कर सकते हैं;
* अनुचित हैं या अन्यथा आपत्तिजनक हैं; और
* सभा को हास्यास्पद बना सकते हैं या अध्यक्षपीठ, सभा या उसके सदस्यों की गरिमा को कम कर सकते हैं।

10. कभी-कभी, जिस संदर्भ में किसी शब्द का प्रयोग होता है वह उसे असंसदीय बना सकता है। उदाहरणार्थ, सदस्यों द्वारा बार-बार बाजार अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार या बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कमी का उल्लेख किया जाता है परंतु सभा को ''बाजार'' के रूप में संदर्भित करना असंसदीय माना गया है।

अन्य परिस्थितियों में कतिपय टिप्पणियों का निकाला जाना

11. ऐसे उदाहरण हैं जब किसी सदस्य की कतिपय टिप्पणियों, जिन्हें वाद-विवाद से संबंधित नहीं माना गया, वापस ले लेने के लिए कहे जाने पर सदस्य ने ऐसा करने से मना कर दिया, तो अध्यक्षपीठ ने उन टिप्पणियों को निकाले जाने का आदेश दे दिया। किसी दस्तावेज, जिसकी अग्रिम सूचना नहीं दी गई है और जो वाद-विवाद से संबंधित नहीं है, से उद्धरण देने से मना करने पर भी यदि सदस्य उससे उद्धरण देना जारी रखता है, तो अध्यक्षपीठ उन उद्धरणों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है। अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 115क(4) में यह उपबंध है कि जब कोई सदस्य बोलने के लिए बुलाए बिना और

अध्यक्षपीठ द्वारा बोलने से मना करने पर भी बोलना जारी रखता/रखती है, तो अध्यक्षपीठ उस भाषण को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाले जाने का आदेश दे सकता/सकती है। इसी प्रकार, यदि कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य या मंत्री के भाषण में व्यवधान डालना जारी रखता/रखती है, तो अध्यक्षपीठ ऐसे व्यवधानों को रिकार्ड न किए जाने का निदेश दे सकता/सकती है।

निकाले जाने की प्रक्रिया

क. उसी दिन सभा के भीतर

(एक) स्वयं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सभापति, यथास्थिति, किसी सदस्य द्वारा बोले गए कतिपय शब्दों को मानहानिकारक, अशिष्ट या असंसदीय या अभद्र मान सकते हैं और स्वप्रेरणा से ऐसे शब्दों को तत्काल निकाले जाने का आदेश दे सकते हैं।

(दो) किसी सदस्य या मंत्री द्वारा आपत्तिजनक शब्दों की ओर अध्यक्षपीठ का ध्यान आकर्षित करने पर अध्यक्षपीठ उन्हें निकाले जाने का आदेश दे सकता/सकती है।

(तीन) सभा पटल अधिकारी द्वारा आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग की ओर अध्यक्षपीठ का ध्यान आकर्षित किए जाने पर भी अध्यक्षपीठ उन शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता/सकती है।

ख. सभा के बाहर

(एक) तथापि, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जिनमें अध्यक्षपीठ अपनी इच्छा से या, किसी सदस्य, मंत्री या पटल अधिकारी द्वारा उसका ध्यान किसी आपत्तिजनक शब्दों की ओर आकर्षित किए जाने पर यह टिप्पणी करता/करती है कि वह अक्षरश: कार्यवाही-वृत्तांत को पढ़ने के पश्चात् निर्णय लेगा/लेगी। ऐसी परिस्थितियों में संगत अक्षरश: कार्यवाही-वृत्तांत को यथास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सभापति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और अक्षरश: कार्यवाही-वृत्तांत को पढ़ने के पश्चात् आपत्तिजनक शब्दों को निकालने का आदेश दिया जा सकेगा।

(दो) ऐसी स्थितियां भी आ सकती हैं जब सभा में बोले गए कतिपय शब्दों पर कोई आपत्ति नहीं की जाती परंतु बाद में ऐसे शब्दों की ओर किसी सदस्य, मंत्री या सचिवालय द्वारा आपत्तिजनक शब्दों के रूप में अध्यक्षपीठ का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में अध्यक्षपीठ अक्षरश: कार्यवाही को पढ़ने के पश्चात् ऐसे शब्दों को निकालने का आदेश दे सकेगा/सकेगी।

12. शब्दों को असंसदीय माने जाने के आधार पर उनके विरुद्ध आपत्ति साधारणतया उनके बोले जाते समय की जानी

चाहिए और किसी भी हालत में, उस दिन के मल्टीग्राफ कार्यवाही-वृत्तांत के जारी होने से पहले की जानी चाहिए।

13. निकाले जाने के आदेश, यदि कोई हों, सामान्यत: उसी दिन संबंधित पीठासीन अधिकारी से प्राप्त किए जाते हैं और उनका पालन कार्यवाही-वृत्तांत में उन्हें जारी करने से पहले किया जाता है।

14. कुछ गिने-चुने मामलों में, मल्टीग्राफ कार्यवाही-वृत्तांत के जारी होने के पश्चात् अध्यक्ष ने स्वप्रेरणा या किसी सदस्य या किसी प्रभावित व्यक्ति, विशेष रूप से संविधान के अंतर्गत कोई उच्च गण्यमान्य व्यक्ति (बाद वाले मामले में तो असंपादित वाद-विवाद के जारी हो जाने के काफी देर बाद तक परंतु उनके मुद्रित होने से पहले) के अभ्यावेदन पर पश्चात्वर्ती दिन को निकाले जाने के आदेश दिए।

15. कतिपय मामलों में, सदस्य के आशयित अर्थ को स्पष्ट करने अथवा आपत्तिजनक माने गए शब्दों के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से निकाले गए शब्दों के स्थान पर उचित शब्दों को प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

16. यह पूर्णतया, आपत्तिजनक शब्दों के बोले जाते समय, सभा में अध्यक्षपीठ ही पर निर्भर करता है कि वह यह जांच और निर्णय करे कि उन शब्दों को निकाला जाए या नहीं और यदि उसके निर्णय के बारे में कोई निवेदन किया जाता है तो केवल अध्यक्षपीठ ही अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता/सकती है।

उसका निर्णय अंतिम होगा और अध्यक्ष को कोई अपील नहीं की जा सकेगी। लेकिन, यदि किसी आपत्तिजनक शब्द, आदि के निकाले जाने के प्रश्न पर निर्णय उस समय पीठासीन व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष द्वारा निर्णय दिए जाने के लिए सुरक्षित रखा जाता है, तो अध्यक्ष कार्यवाही-वृत्तांत पढ़ने के पश्चात् यदि आवश्यक हो, तो निकाले जाने का आदेश दे सकता/सकती है।

निकाले गये शब्दों को कार्यवाही-वृत्तांत में दर्शाना

17. जब अध्यक्षपीठ द्वारा उसी दिन शब्दों को निकाले जाने का आदेश दिया जाए, तो कार्यवाही-वृत्तांत में संबंधित स्थान पर ''... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया)'' दर्शाया जाएगा।

18. यदि अध्यक्षपीठ ने किसी सदस्य के भाषण या व्यवधान के संबंध में यह निदेश दिया है कि कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए, तो कार्यवाही-वृत्तांत में संबंधित स्थान पर ''... (रिकार्ड नहीं किया गया)'' दर्शाया जाएगा।

19. यदि शब्दों को निकाले जाने का आदेश पश्चात्वर्त्ती दिन को मल्टीग्राफ कार्यवाही-वृत्तांत जारी करने के पश्चात् दिया जाता है, तो उसे केवल मुद्रित वाद-विवाद में संबंधित पृष्ठ पर एक पाद-टिप्पण के रूप में दर्शाया जाएगा।

निकाले गए अंशों के प्रकाशन पर निर्बंधन

20. प्रेस से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सभा में शब्दों को निकाले जाने या रिकार्ड न किए जाने के लिए पारित किए गए आदेश को ध्यान में रखे। अत्यधिक सावधानी के रूप में,

सचिवालय द्वारा भी निकाले गए शब्दों की सूचना प्रेस को दी जाती है। तथापि, प्रेस संवाददाताओं द्वारा ऐसी किसी सूचना का प्राप्त न होना भी उन्हें निकाले गए शब्दों या रिकार्ड नहीं किए गए शब्दों के प्रकाशन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले परिणामों से नहीं बचा सकता। अध्यक्ष के आदेश से, सभा के चेम्बर के बाहर निकाले गए शब्द, यदि वे उसी दिन बोले गए हों, आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा महत्वपूर्ण समाचार एजेंसियों को शीघ्रातिशीघ्र बता दिए जाते हैं और उनसे निकाले गए मसौदे का प्रसारण/प्रकाशन नहीं किए जाने का अनुरोध किया जाता है।

21. अध्यक्ष द्वारा शब्दों, टिप्पणियों या कार्यवाही के किसी अंश को निकाले जाने के आदेश का विधि में यह प्रभाव होता है जैसे कि कार्यवाही के वे शब्द/टिप्पणी या अंश बोले ही न गए हों। निकाले गए अंशों का प्रेस द्वारा प्रकाशन ऐसे प्रकाशन से उत्पन्न सभा के विशेषाधिकार के हनन या सभा की अवमानना का प्रश्न बन जाता है।

निकाले गए अंशों को वीडियो टेप से हटाया जाना

22. कार्यवाही के टंकित रूपांतर तैयार करने के अलावा लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का फिल्मांकन भी किया जाता है। कार्यवाही की रिकार्डिंग लोक सभा टी.वी. चैनल द्वारा वीडियो टेप पर की जाती है, जिन्हें लोक सभा सचिवालय के दृश्य-श्रव्य एकक में सुरक्षित रखा जाता है।

23. प्रत्येक दिन की कार्यवाही के वे अंश, जिन्हें अध्यक्षपीठ द्वारा रिकार्ड किए जाने की अनुमति नहीं दी जाती या जिन्हें तदनंतर निकाल दिया जाता है, अगले ही दिन मूल टेप में से हटा दिए जाते हैं ताकि उन्हें आधिकारिक रिपोर्ट के अनुरूप बनाया जा सके।

सभा पटल पर रखे गए भाषणों से असंसदीय शब्दों का हटाया जाना

24. रिपोर्टर शाखा सभा पटल पर रखे गए भाषणों को ध्यानपूर्वक पढ़ती है और यदि कोई असंसदीय/मानहानिकारक/अशिष्ट शब्द उनकी जानकारी में आता है तो रिकार्ड का अंश बनाने से पहले उसमें संपादित/प्रतिस्थापित/विलोपित कर दिया जाएगा। इस प्रकार के किसी असंसदीय/मानहानिकारक/अशिष्ट शब्द या अभिव्यक्ति को हटाने/प्रतिस्थापित करने के प्रभाव को कम करने के लिए संगत वाक्य को उपयुक्त ढंग से संशोधित किया जाए और शब्दशः कार्रवाई में शामिल किया जाए।

संसदीय समितियों की कार्यवाही से शब्दों का निकाला जाना

25. यदि किसी संसदीय समिति या उप-समिति के/की सभापति की यह राय है कि समिति या उप-समिति की कार्यवाही में शब्द, उप-वाक्य या अभिव्यक्ति, जैसा भी मामला हो, में ऐसी

सूचना शामिल है जिसका प्रकाशन लोक हित में नहीं होगा या उसमें केवल व्यक्तिगत प्रकार की टिप्पणियां शामिल हैं, तो सभापति ऐसे शब्द, उप-वाक्य या अभिव्यक्तियों को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाले जाने का आदेश दे सकता/सकती है।

कार्यवाहियों को वेबसाइटों पर अपलोड करना

26. यदि कोई माननीय सदस्य सभा पटल पर किसी असंसदीय अभिव्यक्ति का उपयोग करता है और यह बात किसी की जानकारी में नहीं आती तो स्थितिनुसार यह बात आदेशों के लिए संगत शब्दशः कार्यवाहियों सहित लिखित में माननीय/माननीया अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अथवा सभापति को बतायी जाए और जब तक आदेश प्राप्त न हो कार्यवाही किसी भी स्थिति में वेबसाइट पर अपलोड न की जाए।

संसदीय भाषा के प्रयोग की आवश्यकता

27. इस प्रकार, संसद सदस्य, वाक्-स्वातंत्र्य के होते हुए भी, उनके द्वारा वाद-विवाद में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के संबंध में वे सभा के नियमों के अध्यधीन हैं। उनसे आशा की जाती है कि वे संसदीय भाषा का प्रयोग करके संसद की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखें, उसे पोषित करें तथा उसके द्वारा

प्रयुक्त भाषा के संबंध में संसदीय शिष्टाचार के कतिपय मानदंडों का पालन करे जिससे उच्च स्तर के संसदीय वाद-विवाद को बनाया रखा जा सके।

[बोलते समय सदस्यों द्वारा ध्यान रखे जाने वाली बातें और कार्यवाही-वृत्तांत से असंसदीय अभिव्यक्तियों का निकाला जाना लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमों के नियम 352, 353, 380 और 381 तथा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 115क(4) द्वारा शासित होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 121 भी देखें।]